

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -202

प्रकरण क्रमांक-M-COM-2024-02337

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "वी.आई.पी. सिटी, सेक्टर-01 एक्सटेंशन", प्रमोटर-आर. सी.पी. इन्फ्राटेक प्रा.लि., द्वारा-श्री राकेश पाण्डे, पता-वी.आई.पी. सिटी, सड्ढू, जिला-रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-"वी.आई.पी. सिटी, सेक्टर-01 एक्सटेंशन" पता-सड्ढू, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
21/04/2025	<p>– प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>– प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध रूपये 2,17,000/- की शास्ति अधिरोपित की गई थी। प्राधिकरण के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा माननीय छ.ग. अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील क्रमांक-263/2024 प्रस्तुत की गई। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को माननीय छ.ग. अपीलीय अधिकरण द्वारा मान्य करते हुये शास्ति की राशि 2,17,000/- कम कर रूपये 1,00,000/- किया गया। माननीय छ.ग. अपीलीय अधिकरण के पत्र क्रमांक/55/छ.ग.भू.सं.अ. अधि./2025, रायपुर दिनांक 13.03.2025 के माध्यम से रूपये 1,00,000/- प्राधिकरण के खाते में जमा किया गया। प्राधिकरण के लेखा शाखा द्वारा चालान के माध्यम से दिनांक 08.04.2025 को निर्धारित शासकीय मद में जमा कर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में संलग्न है। प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है।</p> <p>– आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>– प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p style="text-align: center;">सही /- (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p style="text-align: center;">सही /- (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	